क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्याः– **Ref.No.:** G0779/OA NO-92/2024

दिनांकः– **Date:** 07/08/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of Status Report in pursuant to order dated 10.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 92/2024, Brijesh Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 10.05.2024 in the matter of O.A. No. 92/2024, Brijesh Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the compliance status report is being filed herewith.

It is requested that the status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

07/08/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल) राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel) Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.92/2024

IN THE MATTER OF:

Brijesh Singh .... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. .... Respondant(s)

INDEX

S.No.	Description	Pages No.
1.	Status Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 10.05.2024 in O.A. No. 92/2024	3-5
2.	Annexure-1,Copy of recommendation letter dated 13.05.2019	6
3.	Annexure-2,Copy of show-cause notice dated 24.05.2019	7
4.	Annexure-3,Copy of closure order dated 14.07.2021	8
5.	Annexure-4,Compliance report dated 16.04.2024 of closure order	9
6.	Annexure-5,Copy of requesting letter dated 02.05.2024	10
7.	Annexure-6, Copy of recommendation letter dated 27.07.2024	11
8.	Annexure-7, Copy of show-cause notice dated 29.07.2024 for EC	12
9.	Annexure-8, Receiving of show-cause notice with Photographs	13-14
10.	Annexure-9, Copy of EC Imposition order dated 06.08.2024	15
11.	Annexure-10, Copy of recommendation letter dated 06.08.2024	16

FILED BY

07/08/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
UPPCB
Sonbhadra

Status Report in pursuant to order dated 10.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 92/2024, Brijesh Singh versus State of Uttar Pradesh & Ors.

1. That Hon'ble NGT National Green Tribunal vide its order dated 10.05.2024 in the matter of O.A. No. 92/2024, Brijesh Singh and Ors. Vs State of U.P. instructed the following:-

   "**5**..........The District Magistrate and the Superintendent of Police, Mirzapur are directed to take all requisite steps for ensuring that the brick kiln does not operate illegally and also for ensuring that bricks lying in the brick kiln are confiscated and sold by public auction.

   6. UPPCB is directed to initiate proceedings for imposition of environmental compensation on respondent no.3-Project Proponent and also take requisite steps for prosecution of proprietor/manager of respondent no.3-Project Proponent in accordance with law.

   7. List on 09.08.2024 for final hearing...."

2. That UPPCB had issued show-cause notice against the brick kiln under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-24.05.2019 as per recommendation made by Regional Officer, Sonbhadra vide letter dated-13.05.2019. The copies of letter dated 13.05.2019 and 24.05.2019 are attached herewith and marked as Annexures No.-1 and 2.

3. That UPPCB had issued closure order against the brick kiln under section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-14.07.2021 (Annexures No.-3).

4. That during visit, the joint committee has stopped the operation of raw brick filling by pouring water through water tanker on raw bricks in compliance of closure order dated 14.07.2021. The compliance report of closure is attached herewith and marked as Annexure-4.
5. That it is submitted that UPPCB has also requested to C.O. (Police), Chunar Mirzapur vide letter dated-02.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Copy of the letter dated 02.05.2024 is attached herewith and marked as Annexure No-5.
6. That UPPCB had issued show-cause notice to the brick kiln for imposing the environmental compensation of amount Rs. 64,06,250/- vide letter Dated-29.07.2024 as per recommendation made by Regional Officer, Sonbhadra sent vide letter dated-27.07.2024. The copies of letter dated 29.07.2024 and 27.07.2024 are attached herewith and marked as Annexures No.-6 and 7.
7. That the show-cause notice was got received by UPPCB official to concerned brick kiln on dated 31.07.2024 (Copy attached as Annexure-8). Further, the reply of proponent is not received in this office.
8. That UPPCB has imposed environmental compensation of Rs 64,06,250/- on the brick kiln vide letter dated 07.08.2024 as per the recommendation of Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra vide letter dated 06.08.2024 after giving due opportunity as per law. Both letter's copy are attached as Annexure-9 & 10.

Conclusion:

The brick kiln namely M/s Shagun Int Udhyog, Village-Bharehntha, Tehsil-Chunar and District-Mirzapur has not obtained valid 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. UPPCB had issued closure order against the brick kiln under section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated-14.07.2021. For ensuring the compliance of closure order, the Joint Committee constituted by District Administration, Mirzapur vide Letter dated 09.04.2024 has stopped the operation of raw brick filling by pouring water on raw bricks through water tanker. UPPCB has also requested to Circle Officer (Police), Chunar Mirzapur vide letter dated-02.05.2024 for ensuring the compliance of closure order issued against the brick kiln. Thereafter, UPPCB has imposed environmental compensation of Rs 64,06,250/- on the brick kiln vide letter dated 07.08.2024 after giving due opportunity as per law.

The above Joint Committee Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 07.08.2024

07/08/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Sonbhadra

Annexure No.1

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

सन्दर्भ सं०
Ref. No. 112650/शगुन/2019

दिनांक
Date 13/05/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी० 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– मेसर्स शगुन ईंट–उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि उक्त ईंट–भट्ठे का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक–08.05.2019 को किया गया, निरीक्षण आख्या मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार, उक्त ईंट–भट्ठा ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तह0–चुनार, जनपद–मीरजापुर में स्थापित एवं संचालित है। ईंट–भट्ठे से सम्बद्ध चिमनी पर पोर्टहोल प्लेटफार्म तथा सीढ़ी की समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिस कारण गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण का कार्य नहीं किया जा सका। ईंट्–भट्ठे को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। ईंट–भट्ठे को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालनार्थ इस कार्यालय के पत्र सं0–112547/शगुन/2019 दिनांक–30.04.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र दिनांक–30.04.2019 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ईंट–भट्ठे का प्रतिउत्तर अब तक अप्राप्त है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में ईंट–भट्ठे द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये ईंट–भट्ठे का संचालन किये जाने तथा ईंट–भट्ठे द्वारा कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुपालन में ईंट–भट्ठा का प्रतिउत्तर कार्यालय में अप्राप्त होने से परिलक्षित होता है कि उक्त ईंट–भट्ठे द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों का जानबूझ कर उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः उक्त ईंट–भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 (ए) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(राधेश्याम) 13/5/19
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय– म0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

Annexure No.2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No 113633 /सी-2/ईंट भट्ठा-63/क्षे०का०सो०/19

दिनांक / Date 24-5-19

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-सोनभद्र
डायरी नं0 1205
प्राप्ति का दिनांक 28/5/19
हस्ता०

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शगुन ईट उद्योग,
ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तहसील–चुनार,
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि **मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि आपके उद्योग का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 08.05.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति प्राप्त किये संचालित है। निरीक्षण के समय ईट–भट्ठे से सम्बद्ध चिमनी पर पोर्टहोल प्लेटफार्म तथा सीढ़ी की समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। ईट भट्ठे को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 30.04.2019 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था जिसका प्रतिउत्तर ईट भट्ठे द्वारा बोर्ड को प्रेषित नही किया गया है।

इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0 112650/शगुन/2019 दिनांक 13.05.2019 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार **कारण बताओ नोटिस** जारी किया जाता हैं कि:–

1. यह कि क्यों न **मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहंठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर** की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा ।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

(टी0 यू0 खान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

........./2–

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Annexure No.3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H63440/सी–2/सा0–558/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/मिर्जापुर/2021 **Date- 14.07.2021**

पंजीकृत

M/s Shagun Ent Udyog,
Bharehata, Chunar, Mirzapur.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मिर्जापुर की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... ***21. Restrictions on use of certain industrial plants.—***
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मिर्जापुर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच.63440 / सी–2 / सा0–558 / ईट भट्ठा / बन्दी आदेश / मिर्जापुर / 20221 दिनांक–14.07.2021 द्वारा जारी बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या।

उक्त विषयक मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर को जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन की उपस्थिति में उक्त ईंट–भट्ठे के संचालन को तात्कालिक प्रभाव से बन्द किया जाता है। मौके पर वॉटर टैंकर के माध्यम से फुकाई कार्य बन्द कराया गया। अग्रेतर बन्दी का अनुपालन रखे जाने एवं संचालन बन्द होने की सतत् निगरानी हेतु प्रभारी निरीक्षक, थाना–चुनार, को सुपुर्दगी दी जाती है। आज दिनांक– 16-04-24को बन्दी की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

उक्त बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/04/24
(के० के० मौर्य)
वैज्ञानिक सहायक
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सोनभद्र

16/04/2024
(राजेश कुमार वर्मा)
उ० नि० [illegible]
चुनार, मिर्जापुर

गवाहः– उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षरः–

क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1.	[illegible]	[signature]
2.	रमेश कुमार सिंह	R C Singh
3.		

Annexure No.5

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

संदर्भ संख्या / Ref. No G0428/C-772/MZP/2024 दिनांक: 02/05/2024

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी (पुलिस)
तहसील–चुनार,
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः– **मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट भरेहठा, तहसील–चुनार, मिर्जापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 63440/सी–2/सा0–558/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/मिर्जापुर/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय राज्य बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–14.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त बन्दी आदेश प्रश्नगत ईंट भट्ठे को सम्बोधित है एवं जिलाधिकारी महोदय, मिर्जापुर, पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक–15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या–582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक–08.07.2021 के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक–15.03.2021 एवं दिनांक–08.07.2021 के अनुक्रम में उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तत्सम्बन्धी को निर्देशित करना चाहें।

भवदीय,

02/05/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महादेय, मिर्जापुर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी, तहसील–चुनार, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित की राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 63440/सी–2/सा0–558/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/मिर्जापुर/2021 दिनांक–14.07.2021 द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

02/05/2024
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः– Ref.No.: G0755/OA NO-92/2024 दिनांकः– Date: 27/07/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–92/2024 बृजेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–92/2024 बृजेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"……6. UPPCB is directed to initiate proceedings for imposition of environmental compensation on respondent no.3-Project Proponent and also take requisite steps for prosecution of proprietor/manager of respondent no.3-Project Proponent in accordance with law.

7. List on 09.08.2024 for final hearing."

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन हेतु प्रश्नगत ईंट–भट्ठे मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही पारम्भ करने के निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा प्राप्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर पर डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 64,06,250/– धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या–जी 115201/शगुन ईंट/सहमति/2021 दिनांक–08.01.2021 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी थी **(छायाप्रति संलग्न)**। अग्रेतर ईंट–भट्ठे के विरूद्ध दिनांक–14.07.2021 को राज्य बोर्ड से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कर फैक्चुअल रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दिनांक–03.05.2024 को दाखिल की गयी है। ईंट–भट्ठे के दिनांक–14.07.2021 के उपरान्त संचालित होने का साक्ष्य अभिलेखों में प्रकाश में नहीं आया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांकित 08.01.2024 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आलोक में मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर पर डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 64,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(signature) 27/07/2024

(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure No.7

संदर्भ सं0 Ref No. H14976 सी-2/ईट भट्ठा/63/24

दिनांक Date 29/7/24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शगुन ईट उद्योग,
ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार,
जनपद–मिर्जापुर।

यह कि **मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर को राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित करने के कारण राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 36388/सी–2/ईट भट्ठा–63/का0ब0नो0/19 दिनांक 24.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी, के पत्र दिनांक 08.01.2021 द्वारा उक्त ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 24.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने हेतु संस्तुति प्रेषित की गयी थी। बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 14.07.2021 द्वारा उद्योग को बंदी आदेश निर्गत किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 27.07.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि ईट भट्ठे के दिनांक 14.07.2021 के उपरान्त संचालित होने का साक्ष्य अभिलेखों में प्रकाश में नहीं आया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.01.2021 एवं 27.07.2024 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गॉइड लाईन के अनुसार उद्योग पर दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2020 तक 210 कार्यदिवस (210–25=185 दिन लाकडाउन काल वर्ष 2020 हेतु) प्रतिवर्ष के आधार पर कुल 185+4x210=1025 डिफाल्टर दिनों हेतु रूपये 64,06,250/–(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं :–

1. यह कि क्यों न उद्योग **मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर** पर 1025 दिवस की उल्लंघन अवधि हेतु रू0 64,06,250/–(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध 1025 दिवस के डिफाल्ट के दृष्टिगत रू0 64,06,250/–(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–2

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–2

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

Annexure No.8 48

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref No. H14976 सी-2 / ईट भट्ठा / 63 / 24 दिनांक / Date 29/7/24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शगुन ईट उद्योग,
ग्राम व पोस्ट-भरेहठा, तहसील-चुनार,
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट-भरेहठा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, ईट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट-भरेहठा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित करने के कारण राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 36388/सी-2/ईट भट्ठा-63/का0ब0नो0/19 दिनांक 24.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी, के पत्र दिनांक 08.01.2021 द्वारा उक्त ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 24.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने हेतु संस्तुति प्रेषित की गयी थी। बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 14.07.2021 द्वारा उद्योग को बंदी आदेश निर्गत किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 27.07.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि ईट भट्ठे के दिनांक 14.07.2021 के उपरान्त संचालित होने का साक्ष्य अभिलेखों में प्रकाश में नहीं आया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 08.01.2021 एवं 27.07.2024 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गॉइड लाईन के अनुसार उद्योग पर दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2020 तक 210 कार्यदिवस (210-25=185 दिन लाकडाउन काल वर्ष 2020 हेतु) प्रतिवर्ष के आधार पर कुल 185+4x210=1025 डिफाल्टर दिनों हेतु रूपये 64,06,250/-(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं :-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट-भरेहठा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर 1025 दिवस की उल्लंघन अवधि हेतु रू0 64,06,250/-(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध 1025 दिवस के डिफाल्ट के दृष्टिगत रू0 64,06,250/-(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-2

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-2

Received
Ramesh Kumar Singh
Basantpur Chunar
9450160932
31/7/2024

M/s Shagun Ent Udyog Vill. & Post-Bharehata, Teh.-Chunar, District-Mirzapur

क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः–
Ref.No.: G0774/OA No. 92/2024

दिनांकः–
Date: 06/08/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–92/2024 बृजेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–29.07.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक–H14976/सी–2/ईंट भट्ठा/63/24 दिनांक–29.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से 1025 दिवस की उल्लंघन अवधि हेतु रू0 64,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रश्नगत ईंट–भट्ठा मेसर्स शगुन ईंट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति इस कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा ईंट–भट्ठे पर उपस्थित प्रतिनिधि को दिनांक–31.07.2024 को प्राप्त करायी गयी। तत्सम्बन्धी प्राप्ति की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ्स इस पत्र के साथ संलग्न है। तत्क्रम में उद्योग का प्रत्यावेदन/रिसपॉन्स निर्धारित समयावधि बीत जाने के उपरान्त अब तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत ईंट–भट्ठे को प्राप्त करायी गयी कारण बताओ नोटिस दिनांक–29.07.2024 में निर्धारित समयावधि बीत जाने के उपरान्त ईंट–भट्ठा का प्रत्यावेदन/रिसपॉन्स प्राप्त नहीं होने की दशा में उक्त ईंट–भट्ठे पर 1025 दिवस की उल्लंघन अवधि रू0 64,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–29.07.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

06/08/2024

(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

Annexure No.10

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No. H/15372 सी-2/ईटभट्ठा/63/24 दिनॉक / Date 7-8-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शगुन ईट उद्योग,
ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार,
जनपद–मिर्जापुर

विषय–मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर को पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संदर्भ सं0– एच 14976/सी–2/ईट भट्ठा/63/24 दिनांक 29.07.2024 द्वारा 1025 दिवस की उल्लघंन अवधि हेतु रू0 64,06,250/–(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम क्षेत्रीय अधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 06.08.2024 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्यानुसार उक्त कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा ईट भट्ठे पर उपस्थित प्रतिनिधि को दिनांक–31.07.2024 को प्राप्त करायी गयी। तत्क्रम में उद्योग का प्रत्यावेदन/रिसपॉन्स निर्धारित समयवधि बीत जाने के उपरान्त अब तक क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 06.08.2024 द्वारा उद्योग के वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत उद्योग पर दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2020 तक 210 कार्यदिवस (210–25=185 दिन लाकडाउन काल वर्ष 2020 हेतु) प्रतिवर्ष के आधार पर कुल 185+4x210=1025 रू0 64,06,250/–(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु तैयार रूपरेखा के अनुसार आंकलित 1025 दिनों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 64,06,250/–(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) आती है।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 06.08.2024 द्वारा प्रेषित संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स शगुन ईट उद्योग, ग्राम व पोस्ट–भरेहठा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर पर रू0 64,06,250/–(रू0 चौसठ लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विविरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

..2.

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

BMW

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Scanned with OKEN Scanner